राजा देवी बनाम जगना राम व अन्य
प्रकरण संख्या 2022 / 104

29.01.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली मे बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुए कथन किए कि – उपरोक्त शीर्षक के राजस्व वाद में वादिया द्वारा उसके पिता अजीता राम पुत्र लालूराम के नाम अलॉटमेंट होने पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में उसके पिता के नाम से दर्ज रिकॉर्ड होना एवं अजीताराम की मृत्यु दिनांक 25.01.1974 को होने का कथन करते हुए एवं वादिया द्वारा खातेदार दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने व तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त रकबा में 1/2 हिस्सा मोतीराम पुत्र लालूराम का हिस्सा गैर खोतदारी में दर्ज होना तथा वादिया द्वारा अलॉटमेंट में मोतीराम का नाम दर्ज नहीं होने का कथन करते हुए अकेले अजीताराम पुत्र लालूराम के नाम से अलॉटमेंट दर्शाते हुए एवं संवत् 2026 से 2035 में भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा बंदोबस्त की कार्यवाही में 1/2 हिस्सा जमीन मोतीराम के नाम से दर्ज होना तथा भू प्रबन्ध विभाग को ऐसा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होना आदि आक्षेप लगाकर जो दावा धारा 88 एवं 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में पेश किया गया है, जिसका जवाब दावा पूर्व में विस्तृत कथनों के साथ प्रस्तुत करते हुए, अन्य आपतियों की बिनाय पर वादिया का दावा खारिज किए जाने का उल्लेख जवाब दावा में किया गया है, लेकिन फिर भी कानूनी स्थिति में विशेष आपति राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 88(2) में यह व्यवस्था दी गई है कि जहां कोई सम्पति या किसी सम्पति में उस पर अधिकार का राज्य द्वारा या राज्य की ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा राज्य के विरूद्ध जहां कोई सम्पति या किसी सम्पति में या उसमें अधिकार का दावा किया जावे तो जिलाधीश के लिए उसकी औपचारिक जांच के पश्चात, जिसकी याथोचित सूचना दे दी गई हो, उस दावे का निर्णय करते हुए आदेश पारित करना विधि संगत होगा। उपरोक्त विधिक व्यवस्था के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिए गए निर्णय व प्रतिपादित सिद्धांत आरआरडी 1971 पेज 216 में व्यक्त किया गया है। ऐसी सूरत में जब माननीय न्यायालय को वर्तमान दावा उपरोक्त न्याय दृष्टांत के आलोक में खारिज किए जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब बहस में कथन किए गए कि– वादी के पिता अजीताराम पुत्र लालुराम को रकबा आवंटन किया गया जिसमें वादी का नाम भी अलाटमेन्ट में है मगर राजस्व रिकार्ड हैड ऑफ फैमली के नाम दर्ज होता है। अजीताराम का स्वर्गवास हो गया है तथा मोतीराम को उपरोक्त रकबा आवंटन नहीं किया, ना ही वह परिवार में शामिल है, उसका अलॉटमेंट में नाम नहीं है। जब उसे रकबा अलॉट ही नहीं हुआ तो उसका नाम जमाबन्दी में दर्ज नहीं किया जा सकता बल्कि उसके द्वारा गलत तरीके से अपना नाम जमाबन्दी में दर्ज करवाया है जिसके लिए वादी ने वाद प्रस्तुत किया है जिसे सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को है। प्रतिवादी द्वारा जो रूलिंग पेश की है वह इस वाद में चस्पा नहीं होती इसलिए प्रार्थना पत्र खारीज करने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 संपठित धारा 151 सी.पी.सी. का स्कोप अत्यन्त सीमित है जिसमें वाद में अभिलिखित कथनों के सही होने की अवधारणा की जाती है। सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 में स्पष्ट लिखा है कि–

(क) जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक ... (टोंक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:16:13 IST
Reason: SelfAttested

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया है वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है एसो कने में असफल रहता है।

(घ) जहां वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में नहीं भरा गया है।

(च) जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों के पालन में असफल रहता है।

आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के उपरोक्त सुसंगत प्रावधानों के अवलोकन के अनुसार वाद हेतुक नहीं होने की स्थिति में या वाद विधि द्वारा वर्जित होने की स्थिति में ही इन प्रावधानों के तहत वाद खारिज किया जा सकता है। हस्तगत वाद 88 आरटीए एवं 136 एलआर एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया एवं प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में जवाब दावा भी प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में चस्पा नहीं होते है। प्रार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि वादी का वाद किस प्रकार बार्ड बाई लॉ है। मूल वाद का निस्तारण बाद कायम तनकीयात जरिये साक्ष्य गुणावगुण पर होना है। इस स्तर पर वाद पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जाता है। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 सीपीसी हेतु दिनांक 20.02.2025 को पेश हो।

स्वाति गुप्ता
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:10:13 IST
Reason: SelfAttested